

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 07.03.2019


आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर प्रशासनिक कारणों से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	डा. भजनाराम, चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सियाणा, जालौर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौर	रिक्त पद पर
2.	डा. विजय कुमार मीणा, चिकित्सा अधिकारी (मेडिसन)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कृष्णागंज, सिरोही	सामान्य चिकित्सालय, जालौर	रिक्त पद पर
3.	डा. विक्रम सिंह, चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तपुरा, जालौर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाई (गिर्वा), उदयपुर	रिक्त पद पर
4.	डा. प्रदीप यादव, चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटरू, बारां	राजकीय डिस्पेन्सरी, तोपखानादेश, जयपुर	डा. निखिल प्रसाद के स्थान पर
5.	डा. निखिल प्रसाद, चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	राजकीय डिस्पेन्सरी, तोपखानादेश, जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटरू, बारां	डा. यादव के स्थान पर
6.	डा. मंजुला व्यास, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय, बांसवाडा	सेटेलाईट होस्पिटल, हाऊसिंग बोर्ड, चौपासनी, जोधपुर	रिक्त पद पर
7.	डा. टिवंकल व्यास, चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाढू फलोदी, जोधपुर	डा. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	रिक्त पद पर
8.	डा. हनुमान राम, चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहट, पाली	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ, जोधपुर	डा. जिन्दल के स्थान पर
9.	डा. सुमन कुमार जिन्दल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भोपालगढ, जोधपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहट, पाली	डा. हनुमान राम के स्थान पर
10.	डा. नितेश मेलाना, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग)	जिला अस्पताल, जैसलमेर	उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर	रिक्त पद पर


क्रम संख्या 5 एवं 9 पर अंकित अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोक हित में किये जाने के कारण इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त आदेश पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक : एफ.4(1)सशक्ति./विधि/पंरा/2018/ 814 दिनांक 16.06.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, The post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
  
(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सयुक्त सचिव (जीबी), मा. मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके पत्र क्रमांक 181/168 दिनांक 06.03.2019 एवं 05.03.2019 के संदर्भ में।
2. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
5. संबंधित, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
(ओ. पी. वर्मा)  
शासन सहायक सचिव